

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/199/2019

अपीलार्थी:-

दीप चन्द गुप्ता पूर्व प्राचार्य निवासी
254 बसन्त विहार स्कीम नं03 अलवर,
जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अपर
जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 09-12-2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 23.09.2019 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.12.19 को उपस्थित होवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। अपीलार्थी ने निवेदन किया कि चाही गई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2484 दिनांक 19.11.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि वाँछित सूचना अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अलवर से प्राप्त किया जाना वाँछित है। उक्त सूचना के सम्बन्ध में पत्रांक 2354-55 दिनांक 24.10.19 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखते हुए आवेदक को सूचित किया जा चुका है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अलवर से आदिनांक तक कोई जबाब पेश नहीं किया। जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वाँछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है। साथ प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि, यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। सम्बन्धित से सूचना उपलब्ध करने में हुए विलम्ब का भी स्पष्ट कारण लिया जावें। अपील अपीलांत स्वीकार होने योग्य है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलेक्टर अलवर
जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)